# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 55/2018 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

उनवान

1. रमेश दत्तक पुत्र मांगीराम जाति ब्राह्मण निवासी मोहलाई तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

प्रार्थी

1. जगदीश प्रसाद पुत्र भूरा
2. सत्यनारामण पुत्र भूरा
3. बाबूलाल पुत्र भूरा
4. गोकुल पुत्र भूरा
   समस्त जाति ब्राह्मण निवासी मोहलाई तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा
5. तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

स्थानांतरण प्रार्थना पत्र विरूद्ध तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा बाबत रिमाण्ड नामांतरकरण सं0 5 ग्राम मोहलाई जो अपील सं0 1/2015 उनवानी जगदीश प्रसाद बनाम रमेश में उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा ने दिनांक 12.1.2018 को अपील आंशिक मंजूर करके रिमाण्ड किया है।

उपस्थिति : श्री रामअवतार बैरवा, अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री मुकुटबिहारी शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक 20.8.2018

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अप्रार्थी नम्बर 1 लगा0 4 ने नामान्तरकरण सं0 5 ग्राम मोहलाई पर ग्राम पंचायत राहुवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.1971 के खिलाफ 44 वर्ष बाद एक अपील उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा के न्यायालय में प्रस्तुत की। न्यायालय उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा द्वारा उक्त अपील को दिनांक 12.1.2018 को स्वीकार करके नामांतरकरण सं0 5 ग्राम मोहलाई को रिमाण्ड कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 12.1.2018 की पालना में तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। तहसीलदार रामगढ पचवारा से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा से टिप्पणी प्राप्त की गई तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 55/2018 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

बहस के दौरान प्रार्थना पत्र स्थानांतरण के तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा के उक्त आदेश दिनांक 12.1.2018 के विरूद्ध अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के यहां अपील प्रस्तुत कर रखी है जो अपील चल रही है। तहसीलदार के समक्ष प्रार्थी के द्वारा स्पष्ट बता दिया कि उक्त आदेश की अपील चल रही है और रिकार्ड तलब कर लिया है किन्तु उसके बाद भी तहसीलदार कार्यवाही करने पर आमादा है और रिकार्ड को नहीं भेज रहे हैं। प्रार्थी ने तहसीलदार रामगढ पचवारा के समक्ष स्पष्ट लिखित में दिया है कि जिस नामान्तरकरण रिमाण्ड की आप सुनवाई कर रहे हैं उक्त नामान्तरकरण में वर्णित भूमि बाबत नामान्तरकरण की अपील करने से पहले से ही दावे चल रहे हैं और दावे में स्टे हो रहा है और स्टे की नकल भी पेश कर दी है। जब कानूनन दावे चल रहे हो और दावे में स्टे हो रहा हो तो नामान्तरकरण जैसी कार्यवाही नहीं चल सकती है। नामान्तरकरण प्रक्रिया को चलाना कानून का उल्लंघन है एवं उप जिला कलक्टर के स्टे आदेश की अवहेलना है। किन्तु फिर भी तहसीलदार रामगढ पचवारा जल्दबाजी करते हुए उप जिला कलक्टर के स्थगन आदेश को नजरअंदाज करके उक्त रिमाण्ड नामान्तरकरण का फैसला अप्रार्थी सं.1 लगा0 4 के पक्ष में करने को आमादा हो रहे हैं। अप्रार्थीगण राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है तथा तहसीलदार रामगढ पचवारा पर अपना प्रभाव कायम कर निर्णय करवाने पर आमादा हैं। इसलिये प्रार्थी को तहसीलदार रामगढ पचवारा से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः नामान्तरण सं0 5 ग्राम मोहलाई जो अपील सं0 1/2015 उनवानी जगदीश प्रसाद बनाम रमेश में उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा ने दिनांक 12.1.2018 को अपील आंशिक मंजूर करके रिमाण्ड किया है जो प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा के समक्ष चल रहा है, उक्त प्रकरण को तहसीलदार रामगढ पचवारा के यहां से किसी अन्य तहसीलदार के यहां स्थानांतरित करने के आदेश फरमावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी प्रकरण में स्थानांतरण प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो दिनांक 1.6.18 को खारिज हो चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण के निस्तारण में देरी करने एवं अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से पुनः प्रार्थना पत्र स्थानांतरण इस न्यायालय में पेश कर दिया गया है। तहसीलदार रामगढ पचवारा के यहां रिमाण्ड नामांतरकरण की सुनवाई की जा रही है। प्रकरण में किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है। इस बाबत शपथ पत्र भी पेश कर दिया गया है। रिमाण्ड नामांतरकरण प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज फरमावें।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार रामगढ पचवारा से प्राप्त टिप्पणी का भी अवलोकन

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

किया। जिससे स्पष्ट है कि उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने पर रिमाण्ड नामांतरकरण की अग्रिम कार्यवाही तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा की जा रही है। तहसीलदार रामगढ पचवारा ने अपनी टिप्पणी में अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी तत्कालीन तहसीलदार रामगढ पचवारा के विरूद्ध प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया था जो खारिज हो चुका है। अधिवक्ता प्रार्थी का आशय है कि प्रकरण में उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा का स्थगन आदेश होने से रिमाण्ड नामांतरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार रामगढ पचवारा को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किये जाने से पूर्व सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश के सम्बन्ध में जानकारी कर तद्नुसार विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा को भिजवायी जावे। प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 20.8.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official